संख्या-1/511/49-1-13-500(454)/06

प्रेषक,

वहीद उल्लाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 05 मई, 2014

विषय- प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्वि तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिए ''सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण'' योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति(पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ''ब्याज अनुदान'' की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-03/लेखा-अ/2014-15-प्लान दिनांक 03 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्वि तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिये ''सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण'' योजनान्र्तगत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति(पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ''ब्याज अनुदान'' के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 16,66,66,667/-(रू0 सोलह करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार छः सौ सरसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त ब्याज अनुदान के उपयोग आदि के संबंध में समस्त शर्ते शासनादेश संख्या-3309/49-1-06-500(454)/06 दिनांक 07-12-06 एवं शासनादेश संख्या-1006/49-1-11-500(454)/06 दिनांक 20 जुलाई, 2011 एवं 1293/49-1-13-500(454)/06 दिनांक 27 जून,2013 के अनुसार ही रहेगी।

3- उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2425-सहकारिता-आयोजनागत-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता-10-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14-03-2014 में निहित निर्देशों/व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

5- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14-03-2014 में उल्लिखत संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि इससे वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

भवदीय,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-511(1)/49-1-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परिक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें,उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 11-विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
8- सहकारिता अनुभाग-3
9- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रण, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां,उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in